

न्यायालय राज्य आयुक्त निःशक्तता, बिहार

समाज कल्याण विभाग

अन्तर्गत दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016

पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन परिसर, पटना, पिनकोड-800015

दूरभाष सं०-0612-2215041, 2215152, email - scdisability2008@gmail.com

पत्रांक-

३७४/आ.नि.के

दिनांक-.....जुलाई'19

आदेश

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 की धारा-82 के अन्तर्गत

वाद सं०-17/2019

प्रकरण में:- श्री शांति मुकुल एवं कुमारी सरिता, ग्राम-मिर्जापुर, पो०-श्रीसिया बुजुर्ग, थाना-काँटी, जिला-मुजफ्फरपुर को राशन कार्ड सुलभ कराने सम्बन्धित परिवाद।

बनाम :- (1) जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर

वाद सं०-17/2019

(1) पहली आदेश की तिथि - 27.06.2019

संदर्भित वाद - सुनवाई हेतु संचिका उपस्थापित।

वादी - अनुपस्थित।

प्रतिवादी जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मो० महमूद आलम, मुजफ्फरपुर उपस्थित है, उनके द्वारा यह बताया गया कि, दिव्यांग आवेदिका का राशन कार्ड हेतु RTPS के माध्यम से दि०-06.03.2019 को आवेदन दिया था, परन्तु अभी तक आवेदन पर कृत कार्रवाई की सूचना प्रतिवादी को नहीं है। प्रतिवादी की ओर से दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा-37 के अन्तर्गत विस्तृत प्रतिवेदन/वाद की सुनवाई की अगली तिथि को समर्पित करने हेतु समय की माँग की गयी।

वाद की अगली सुनवाई दिनांक-.....को पूर्वाह्न/अपराह्न 12.15 बजे निर्धारित की जाती है। उक्त तिथि को जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर, अनुमण्डल पदाधिकारी, पश्चिमी मुजफ्फरपुर एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, काँटी से आवश्यक सम्पर्क स्थापित कर उपरोक्त प्रतिवेदन के साथ न्यायालय में उपस्थित रहेंगे। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर यदि उक्त तिथि को अनुपस्थित होते हैं, तो इस न्यायालय का कोई और विकल्प नहीं होगा, सिवाय इसके की राज्य के संयुक्त सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सुनवाई में आवश्यक सहयोग प्रदान करने हेतु तलब किया जा सके।

न्याय आदेश की प्रति दोनों पक्षों को उपलब्ध करायें।

(डॉ० शिवाजी कुमार),

राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

जापान-वाद सं०-17/2019.....

दिनांक-.....जुलाई'19

हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई

राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

कृ०प०३०.....

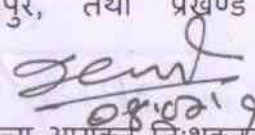
(2)

जापांक-वाद सं0-17/2019-.....

३७४/आ.१९६१

दिनांक-१० जुलाई १९

प्रतिलिपि:-अनुमण्डल पदाधिकारी, पश्चिमी मुजफ्फरपुर, तथा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, काँटी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

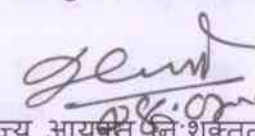

०४.०७.१९
राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

जापांक-वाद सं0-17/2019-.....

३७४/आ.१९६१

दिनांक-१० जुलाई १९

प्रतिलिपि:-श्री शांति मुकुल एवं कुमारी सरिता, ग्राम-मिर्जापुर, पो0-श्रीसिया बुजुर्ग, थाना-काँटी, जिला-मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।


०४.०७.१९
राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।